बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– पी0पी0एम0–50 / 2016 3768 /कृ0, पटना दिनांक 21/9/,2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

#द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 9149.20 लाख (एकान्बे करोड़ उनचास लाख बीस हजार) रूपये की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं इसके अंतर्गत केन्द्रांश मद में 4577.86 लाख (पैतालीस करोड़ सतहत्तर लाख छियासी हजार) रूपये एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद में 3051.90 लाख (तीस करोड़ एकावन लाख नब्बे हजार) रूपये तथा राज्यांश मद से अतिरिक्त सहायता के रूप में 1519.44 लाख (पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख चौवालीस हजार) रूपये कुल 9149.20 लाख (एकान्बे करोड़ उनचास लाख बीस हजार) रूपये की व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 9149.20 लाख (एकान्बे करोड़ उनचास लाख बीस हजार) रूपये की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं इसके अंतर्गत केन्द्रांश मद में 4577.86 लाख (पैतालीस करोड़ सतहत्तर लाख छियासी हजार) रूपये एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद में 3051.90 लाख (तीस करोड़ एकावन लाख नब्बे हजार) रूपये तथा राज्यांश मद से अतिरिक्त सहायता के रूप में 1519.44 लाख (पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख चौवालीस हजार) रूपये कुल 9149.20 लाख (एकान्बे करोड़ उनचास लाख बीस हजार) रूपये की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के कार्यान्वयन पर व्यय हेतु केन्द्रांश मद में 60 प्रतिशत एवं राज्यांश मद में 40 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार से विमुक्त राशि के समानुपातिक राज्यांश निर्गत किया जा सकेगा।

3. वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा चयनित राज्य के 15 जिलों में चावल फसल 10 जिलों में गेहूँ फसल, सभी 38 जिलों में दलहन फसल एवं 11 जिलों में कोर्स सिरियल (मोटा अनाज) फसल से संबंधित विभिन्न प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त वाणिज्कि फसल अंतर्गत गन्ना एवं जूट से संबंधित कार्यक्रम, संबंधित उत्पादक जिला में कार्यान्वित किये जायेंगे। कार्यान्वयन का समय सीमा वर्ष 2017–18 है।

4. **<u>योजना कार्यान्वयन हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण</u>** :

I. वर्ष 2017–18 में कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत चावल, गेहूँ, दलहन, कोर्स सिरियल, जूट एवं गन्ना फसल कार्यक्रम का घटकवार राज्य स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य क्रमशः अनुसूची–1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 पर तथा जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य क्रमशः 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 पर अनुलग्न है। योजना का कार्यान्वयन संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत आवंटित एवं उपलब्ध राशि से सुनिश्चित किया जायेगा।

II. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना वर्ष 2017–18 अंतर्गत चावल, गेहूँ, दलहन, कोर्स सिरियल, जूट एवं गन्ना कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में स्वीकृत राशि की विवरणी फसलवार एवं कोटिवार क्रमशः अनुसूची– 13 (i) एवं 13 (ii) पर अनुलग्न है। संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उक्त स्वीकृत राशि के अंतर्गत संबंधित मद में आवंटित एवं उपलब्ध राशि से व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

III. प्रस्तावित योजना अंतर्गत बीज अनुदान एवं कृषि यांत्रिकरण मद में अतिरिक्त सहायता (टॉप अप) के रूप में शत्–प्रतिशत राज्यांश मद में स्वीकृत राशि की विवरणी फसलवार एवं कोटिवार क्रमशः अनुसूची– 14 (i) एवं 14 (ii) पर अनुलग्न है। संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उक्त स्वीकृत राशि के अंतर्गत संबंधित मद में आवंटित राशि से व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

5. **योजना कार्यान्वयन एजेंसी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी:**

I. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत जिला स्तर पर चावल, गेहूँ, दलहन, कोर्स सिरियल एवं व्यवसायिक फसल (जूट) कार्यक्रम का कार्यान्वयन एजेंसी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी होंगे जो योजना के कार्यान्वयन तथा संबंधित मद में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय के लिये पूर्णतः जबाबदेह होंगे। इनके द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु आवंटित एवं व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक को उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसकी एक प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक, रा0खा0सु0मि0, बिहार, पटना इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

II. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत गन्ना कार्यक्रम का कार्यान्वयन एजेंसी गन्ना उधोग विभाग, बिहार के संबंधित जिला के सहायक निदेशक, ईख विकास होंगे जो योजना कार्यान्वयन एवं व्यय के लिये पूर्णतः जवाबदेह होंगे। उक्त मद में स्वीकृत एवं आवंटित राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में व्यय के लिये स्वीकृत एवं आवंटित राशि की निकासी हेतु बी0टी0सी0 फार्म–46 में तैयार किया जायेगा तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर राशि अंतरण जमा के माध्यम से बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) पटना के पी0एल0 खाता में अंतरित की जाएगी। बामेती, पटना द्वारा गन्ना कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु ईखायुक्त, गन्ना उधोग विभाग, बिहार के परामर्शानुसार अंतरित राशि एकाउंट पेयी चेक/ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को उपलब्ध करायी जायेगी। ईखायुक्त, बिहार, पटना द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र बामेती, पटना के माध्यम से कृषि निदेशक, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसकी एक प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में भेजा जायेगा। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की अनिवार्यता होगी।

III. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (दलहन) कार्यक्रम अंतर्गत परियोजना प्रबंधन दल में स्वीकृत एवं आवंटित राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। उक्त मद में स्वीकृत एवं राशि की निकासी हेतु बी0टी0सी0 फार्म–46 में तैयार किया जायेगा तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर राशि अंतरण जमा के माध्यम से बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) पटना के पी0एल0 खाता में अंतरित की जायेगी। बामेती, पटना द्वारा उक्त मद में अंतरित राशि कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक द्वारा उक्त प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र की एक प्रति महालेखाकार कार्यालय को भेजा जायेगा।

IV. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–व्यवसायिक फसल (जूट) अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन एजेंसी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट, बिहार, पूर्णियाँ होंगे जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय के लिये पूर्णतः जवाबदेह होंगे। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त कार्यक्रम का उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसकी एक प्रति महालेखाकार, बिहार को भेजा जायेगा।

V. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि का केन्द्रांश मद में 60% तथा राज्यांश मद में 40% के अनुसार निकासी एवं व्यय संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

VI. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के चावल, गेहूँ, दलहन एवं कोर्स सिरियल कार्यक्रम के अंतर्गत बीज अनुदान मद में अतिरिक्त सहायता के रूप में स्वीकृत राशि अंतर्गत आवंटन, निकासी एवं व्यय शत्–प्रतिशत राज्य योजना से सुनिश्चित किया जायेगा तथा चावल, गेहू एवं दलहन कार्यक्रम अंतर्गत कृषि यांत्रिकरण मद में अतिरिक्त सहायता के रूप में स्वीकृत राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय शत्–प्रतिशत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के राज्यांश मद से सुनिश्चित किया जायेगा।

VII. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ, दलहन, कोर्स सिरियल, जूट (पाट) एवं गन्ना कार्यक्रम अंतर्गत गरमा मौसम में कार्यान्वित होने वाले कार्यक्रमों से संबंधित राशि की अग्रिम निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

VIII. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत कार्यान्वित कार्यक्रमों से संबंधित लाभान्वित कृषकों को देय अनुदान राशि का भुगतान डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) योजना अंतर्गत आर0टी0जी0एस0/ एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

IX. योजना अंतर्गत स्वीकृत एवं आवंटित राशि का व्यय योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अंतर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

6. **<u>फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन</u>** :

I. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना–चावल, गेहूँ, दलहन, कोर्स सिरियल एवं जूट कार्यक्रम अंतर्गत फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम क्लस्टर (समूह) में कार्यान्वित किया जायेगा। चावल, गेहूँ, कोर्स सिरियल एवं जूट फसल के लिये क्लस्टर का न्यूनतम रकवा 20 एकड़ का होगा तथा दलहन फसल प्रत्यक्षण के लिये क्लस्टर का न्यूनतम रकवा 10 एकड़ का होगा। प्रत्यक्षण स्थल पर पर्याप्त सिंचाई सुविधा एवं सुगम पहुच योग्य होना आवश्यक होगा।

II. प्रत्यक्षण कार्यक्रम अंतर्गत उपादानों का वितरण कार्यक्रम बामेती/आत्मा द्वारा आयोजित प्रखंड स्तरीय आयोजित शिविर में कार्यान्वित किया जायेगा। शिविर में प्रत्यक्षण मॉडल एवं प्रखंडवार लक्ष्य के अनुसार गुणवत्तायुक्त उपादानों की व्यवस्था की पूर्ण जबाबदेही जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी की होगी।

III. प्रत्यक्षण कार्यक्रम अंतर्गत धान, गेहूँ एवं जूट का अधिकतम 10 वर्ष तक के आयु वाले प्रभेद तथा दलहन का अधिकतम 15 वर्ष के आयु वाले प्रभेद के प्रमाणित बीज का उपयोग किया जायेगा तथा संकर धान, संकर मक्का एवं संकर बाजरा का प्रशासी विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 के लिये चिन्हित प्रभेदों के बीज का उपयोग किया जायेगा।

IV. प्रमाणित बीज के क्रय पर अनुदान केवल सरकारी कंपनियों द्वारा आपूर्ति किये गये बीज पर देय होगा तथा संकर प्रभेदों के लिये प्रशासी विभाग द्वारा चिन्हित एवं अनुशंसित प्रभेदों के बीज के क्रय पर अनुदान देय होगा।

V. प्रत्यक्षण कार्यक्रम अंतर्गत उपादानों के वितरण में इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जबाबदेही जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी की होगी। वितरित किये जाने वाले प्रत्येक उपादानों का पर्याप्त मात्रा में नमूना संग्रह कर जाँच विश्लेषण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

VI. क्षेत्र दिवस का आयोजन, प्रचार–प्रसार सामग्री का वितरण एवं वैज्ञानिक/ पदाधिकारी भ्रमण मद में कुल 320.00 रूपये प्रति एकड़ की दर से निर्धारित राशि का व्यय प्रत्यक्षण मॉडल के अनुसार संबंधित कार्यमद के लिये सुनिश्चित किया जायेगा। इस मद की राशि से क्षेत्र दिवस के अवसर पर फसल जाँच कटनी का भी आयोजन किया जायेगा।

VII. प्रत्यक्षण कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक समूह प्रत्यक्षण के लिये एक फसल जाँच कटनी तथा इसके साथ एक कंट्रोल प्लॉट का फसल जाँच कटनी प्रयोग आयोजित किया जायेगा तथा इसका अभिलेख संधारित किया जायेगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा फसल कटनी का प्रतिवेदन कृषि निदेशक को प्रतिवेदित किया जायेगा। सर्वोत्तम समूह प्रत्यक्षण के लिये सफलता की कहानी प्रखंड, जिला एवं